गोमती

बनाम

ठाकुरदास व अन्य

13 अप्रैल 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और डी. के. जैन, जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता 1973-s. 389- दंडादेश के निष्पादन का निलंबन व जमानत का दिया जाना- विचारण के दौरान जमानत पर रहते हुए स्वतंत्रता के दुरूपयोग के आरोप का अभाव होने के कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा जमानत का दिया जाना औचित्य जो अवधारित कियाः दंडादेश के निष्पादन के निलंबन का आदेश व जमानत दिये जाने का आदेश नियमित तौर से पारित नहीं किया जाना चाहिये- ऐसे आदेश में कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिये- विचारण के दौरान जमानत पर रहते हुये स्वतंत्रता का दुरूपयोग अपने आप इस तरह के आदेश का वारंट नहीं देता- अपीलीय न्यायालय द्वारा सही सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित नहीं किया।

आपराधिक विधि- जमानत एवं दंडादेश के निष्पादन के निलंबन के मध्य अंतर

उत्तरदाता सं. 1 से 5 को भारतीय दंड संहिता की धारा- 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता धारा- 148 व 201 भा.दं.सं. व धारा 3(2) व 5 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया गया उनके द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई- अपील लंबित रहने के दौरान उत्तरदाताओं को धारा 389 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुये इस आधार पर जमानत दी गई थी कि जब वे मुकदमें के दौरान जमानत पर थे तो उन्होंने अपनी

स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं किया- वर्तमान अपील परिवादी द्वारा जमानत देने का विरोध करने के बारे में।

अपील को अनुमत करते हुये न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया 1 धारा 389 द.प्र.सं. अपील लंबित रहने तक दंडादेश के निष्पादन के निलंबन व अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है. जमानत व दंड के निलंबन के बीच अंतर हैं। धारा 389 का एक आवश्यक अवयव हैं कि अपीलीय न्यायालय दंडादेश के निष्पादन के निलंबन के आदेश व अपीलीय आदेश में कारणों को लिखित में दर्ज करें। यदि वह कारावासित हैं तो उक्त न्यायालय निर्देश दे सकता हैं कि उसे जमानत पर या अपने स्वयं के बंध पत्र पर रिहा कर दिया जावें। लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिये व दंडादेश के निलंबन तथा जमानत दिये जाने का आदेश नियमित तौर पर पारित नहीं किया जाना चाहिये। [पैरा 11] [93-एच;94-ए-बी]

(2) अपीलीय न्यायालय कर्त्तव्यबद्ध हैं कि वह मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन करें और इस निष्कर्ष के लिये कारण दर्ज करें कि मामला दंडादेश के निष्पादन का निलंबन व जमानत दिया जाना वारंट करता हैं। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंड के निलंबन व जमानत दिये जाने के संबंध में जिस एक मात्र कारक पर बल दिया जाना प्रतीत होता हैं, वह हैं उत्तरदाताओं द्वारा जमानत पर रहते हुये, पहले की अवधि के दौरान स्वतंत्रता के दुरूपयोग का अभाव। [पैरा12] [94-सी]

(3) केवल एकमात्र यह तथ्य कि विचारण के दौरान उन्हें जमानत दी गई थी और वहां स्वतंत्रता के दुरूपयोग का कोई आरोप नहीं था वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विचारण के दौरान दी गई जमानत का प्रभाव तब अपना महत्व खो देता है

जब विचारण पूरा होने पर अभियुक्त व्यक्ति दोषी पाया जाता हैं। केवल यह तथ्य कि उस अवधि के दौरान जब अभियुक्त व्यक्ति विचारण के दौरान जमानत पर थे, स्वतंत्रता का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ दंड के निष्पादन के निलंबन व जमानत दिये जाने का वारंट नहीं देता। उच्च न्यायालय द्वारा वास्तव में जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक था वह यह कि क्या दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करने और उसके उपरांत जमानत देने के कारण अस्तित्व में थे। ऐसा प्रतीत होता कि उच्च न्यायालय द्वारा सही सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया। [पैरा13] [94-डी-ई]

विजय कुमार बनाम नरेंद्र व अन्य [2002] 9 एससीसी 364; रामजी प्रसाद बनाम रत्तन कुमार जायसवाल व अन्य **[2002] 9 एससीसी 366**; किशोरी लाल बनाम रूपा व अन्य [2004] 7 एससीसी 638 और वसंत तुकाराम पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य [2005] 5 एससीसी 281, पर निर्भर था।

आपरधिक अपील अधिकारिताः आपराधिक अपील सं. 555/2007

इलाहबाद उच्च न्यायाल के अपील सं. 2002 के 3876 व 2002 के 3777 में क्रमशः दिनांक 16-12-2002 और 23-01-2003 को पारित निर्णय व आदेशों से।

अपीलार्थी की ओर से डॉ. नफीस और ए. सिद्दीकी।

उत्तरदातओं की ओर से नलिन त्रिपाठी, अनुराग शर्मा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सहदेव सिंह, शाहिद अली राव, मुशर्रफ चौधरी जावेद महमूद राव।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉo अरिजीत पसायत, जे.

1. याचिका स्वीकार की गई।

2. इस अपील में उत्तरदाता सं. 1 से 5 द्वारा अपील लंबित रहने के दौरान अर्थात उच्च न्यायालय के समक्ष अपील (सीआरएलए 3876/2002 व 3777/2002) लंबित रहने के दौरान इलाहबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई। वर्तमान अपील में परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके पति को 12-09-1998 को उत्तरदाता 1 से 5 द्वारा मार दिया गया और संबंधित उत्तरदाता जमानत के हकदार नहीं हैं।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैः

4. उत्तरदाता सं. 1 से 5 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120 (B) व 323 संक्षेप में (भा.दं.सं.) व धारा 3 (2) व (5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. संक्षेप में (एससीएसटी अधिनियम) व धारा 3 (2) और (5) आयुध अधिनियम 1954 संक्षेप में (आयुध अधिनियम) 1999 के सत्र विचारण सं. 11 व 12 में विचारण का सामना करना पड़ा।

5. सभी आरोपियों को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें भा.दं.सं. धारा 302 सपठित धारा 149 और धारा 148, 201 और एससीएसटी अधिनियम की धारा 3 (2) और 5 के संबंध में अन्य सजाएं सुनाई गईं। हालाँकि, उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और आईपीसी की धारा 120 बी से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया गया। उत्तरदाताओं 1 से 5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की आपराधिक अपील संख्या 3876 और 2002 की 3777 दायर की। आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2002 एवं 23.1.2003 द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। 2002 की आपराधिक अपील संख्या 3876 में निम्नलिखित आदेश पारित किया था।

"अपीलकर्त्ताओं के लिये अधिवक्ता श्री संजय त्रिपाठी व परिवादी के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

सेशन जज के आदेश और निचली अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता जमानत पर थे।

लंबित अपील, एसटी नंबर 12/99 में दोषी अपीलकर्ताओं- ठाकुरदास, हंसराज और डिलन को व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में प्रत्येक की दो जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

अगले आदेश तक जुर्माने की वसूली पर भी रोक रहेगी।"

6. अन्य अपील अर्थात 2002 की आपराधिक अपील सं. 3777 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

"अपीलकर्ताओं के लिए वकील श्री संजय त्रिपाठी और राज्य परिवादी के वकील और विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

अपीलकर्ता के वकील का कहना है कि अन्य सह-आरोपी व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोली चलाई थी, पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अपीलकर्ता के वकील ने आगे कहा कि घटना के समय काली चरण की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि 13.9.98 को शाम 5.15 बजे उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी जबकि रिपोर्ट 12.9.98 को शाम 7.15 बजे दर्ज की गई थी। और वह रिपोर्ट दर्ज कराने भी गया था। शिकायतकर्ता और आवेदक पिछले चार साल से अधिक समय से जेल में हैं।

लंबित अपील एसटी न. 2/99 में दोषी ठहराये गये अपीलकर्ता ग्यासी और बलखंडी को प्रत्येक को व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने और संबंधित अदालत के संतुष्टिप्रद समान राशि में दो जमानतें देने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिये।

अगले आदेश तक जुर्माने की वसूली पर भी रोक रहेगी।"

7. अपीलकर्ता ने आदेशों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए आग्रह किया है कि पहले आदेश में यह बताने के अलावा कोई कारण नहीं बताया गया है कि आरोपी अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान जमानत पर थे और दूसरे मामले में एकमात्र अतिरिक्त आधार यह दर्शाया गया है कि घटना के समय काली चरण की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध थी। क्योंकि 13.9.1998 को शाम 5.15 बजे उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी जबकि रिपोर्ट 12.9.1998 को शाम करीब 7.15 बजे दर्ज की गई थी और वह शिकायतकर्ता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। आगे बताया गया कारण यह है कि आवेदक लगभग चार साल से जेल में है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 389 से संबंधित शक्ति का प्रयोग करते समय, यह जरूरी है कि कारणों को दर्ज किया जाए। जमानत देने को उचित ठहराने के लिए बताए गए कारण उचित होने चाहिए। जिन कारकों को उच्च न्यायालय ने महत्व दिया है वे न केवल अप्रासंगिक हैं बल्कि मस्तिष्क के अप्रयोग को भी दर्शाते हैं

9. इसके विपरीत उत्तरदाताओं 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जमानत देना विवेकाधीन है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देना और जमानत देना उचित था।

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के रुख का समर्थन किया।

11. संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और दंडादेश के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 की आवश्यक सामग्रियों में से एक

अपीलीय न्यायालय के लिए दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करने या अपील में किए गए आदेश के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में है, तो उक्त अदालत उसे जमानत या अपने बांड पर रिहा करने का निर्देश दे सकती है। कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और दंडादेश को निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश देने वाला आदेश नियमित तौर पर पारित नहीं किया जाना चाहिए।

12. अपीलीय न्यायालय मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और इस निष्कर्ष के लिए कारण दर्ज करने के लिए बाध्य है कि मामले में दंडादेश के निष्पादन को निलंबित और जमानत देने की आवश्यकता है। मौजूदा मामले में, एक मात्र कारक जो दंडादेश को निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रतीत होता है, वह पिछली अवधि के दौरान स्वतंत्रता के दुरुपयोग के आरोप का अभाव है, जब आरोपी-उत्तरदाता जमानत पर थे।

13. केवल यह तथ्य कि विचारण के दौरान, उन्हें जमानत दे दी गई थी और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं था, वास्तव में ज्यादा महत्व नहीं रखता है। विचारण के दौरान दी गई जमानत का प्रभाव तब महत्व खो देता है जब विचारण पूरा होने पर आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया गया हो। केवल तथ्य यह है कि जिस अवधि के दौरान आरोपी व्यक्ति विचारण के दौरान जमानत पर थे, स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था, दंडादेश के निष्पादन और जमानत देने के निलंबन का वारंट नहीं देता है। उच्च न्यायालय द्वारा वास्तव में इस पर विचार करना आवश्यक था कि क्या दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करने और उसके बाद जमानत देने के कारण मौजूद थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने सही सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा है।

14. विजय कुमार बनाम नरेंद्र और अन्य, [2002] 9 एससीसी 364 और रामजी प्रसाद बनाम रत्तन कुमार जयसवाल और अन्य, [2002] 9 एससीसी 366 में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि से जुडे मामलों में, केवल असाधारण मामलों में ही दंडादेश के निलंबन का लाभ दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। विजय कुमार के मामले (सुप्रा) में यह माना गया कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले में, जमानत की प्रार्थना पर विचार करते समय भा.दं.सं. के अनुसार, न्यायालय को प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे कि आरोपी के खिलाफ लगाये गये आरोप की प्रकृति, जिस तरह से अपराध किया गया है, अपराध की गंभीरता और आरोपी को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता जबिक उन्हें हत्या का गंभीर अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया ।

15. उपरोक्त स्थिति को किशोरी लाल बनाम रूपा और अन्य [2004] 7 एससीसी 638 और वसंत तुकाराम पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य में, [2005] 5 एससीसी 281 में उजागर किया गया था।

16. दंडादेश के निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश देने वाला आदेश स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। आरोपी-उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष नए आवेदन दायर किए जाएंगे। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय इस मामले पर विधि अनुसार, उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगा।

17. ऊपर दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों को बनाये नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किया जाता है।

18: उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल पारीख (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।